भारत सरकार कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1439 जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2021 को दिया जाना है

राष्ट्रीयकृत कोयला खान

1439. श्री नरेन्द्र कुमार:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत कोयला खानों का ब्यौरा क्या है; और
- (ख) राजस्थान में कोयला आधारित उद्योगों जैसे सीमेंट संयंत्र, विद्युत संयंत्र, वस्त्र आदि को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन सी योजनाएँ चलाई जा रही हैं?

<u>उत्तर</u> <u>संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री</u> (श्री प्रल्हाद जोशी)

- (क): वर्तमान में, कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के अंतर्गत 4 कोयला ब्लॉकों में उत्पादन हो रहा है जिनका ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।
- (ख): राजस्थान में सीमेंट संयंत्र, विद्युत संयंत्र, वस्त्र आदि जैसे कोयला आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की कोई स्कीम नहीं चलाई जा रही है।

अनुबंध

कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के अंतर्गत वर्तमान में उत्पादन करने वाले कोयला ब्लॉकों का विवरण:-

क्र.सं.	आवंटित कोयला	राज्य	कंपनी का नाम	अन्त्य-उपयोग	आवंटन की
	ब्लॉक का नाम				तारीख
1.	तसरा	झारखंड	स्टील ऑथारिटी ऑफ	स्पांज ऑयरन	17.04.1996
			इंडिया लि.		
			(एसएआईएल)		
2.	पकरी-बरवाडीह	झारखंड	एनटीपीसी	विद्यत	11.10.2004
3.	मोहेर	मध्य	सासन पावर लिमिटेड	विद्युत	13.09.2006
		प्रदेश	(एसपीएल)		
4.	मोहेर-अम्लोरी	मध्य	सासन पावर लिमिटेड	विद्युत	13.09.2006
	विस्ता.	प्रदेश	(एसपीएल)		
